सुधार परिपत्र सं.8

Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 23364197
E-mail : mplads@nic.in

सं.सी-42/2011-एमपीलैड्स

Dated ....26..अगस्त,..2011

सेवा में,

राज्यों/संघ राज्यशासित प्रदेशों के नोडल सचिव
दिल्ली/कोलकाता/चेन्नई/मुंबई के नगर निगम आयुक्त,
सभी जिलों के जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त,

विषयः एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में संशोधन के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

इस मंत्रालय को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के तहत सांसदों को दी जाने वाली निधि को बढ़ाने के लिए पिछले कई वर्षों से विभिन्न स्टेकहोल्डरों से अभ्यावेदन तथा सुझाव मिल रहे हैं । इन सुझावों पर विचार करने के बाद तथा चर्चा एवं अनुभव के आधार पर सरकार ने वित्त वर्ष 2011-12 से सांसदों के वार्षिक कोष को 2 करोड़ रु. से बढ़ाकर 5 करोड़ रु. करने का निर्णय लिया है । इसके अनुसार, वार्षिक निधि के आबंटन में वृद्धि के मद्देनजर वर्तमान दिशानिर्देशों के मौजूदा पैरा 4.1 से 4.3 में संशोधन किया गया है ।

4.1 5 करोड़ रु. के वार्षिक आबंटन को भारत सरकार द्वारा सीधे ही संबंधित सांसद के जिला प्राधिकारी को 2.5 करोड़ रु. की दो समान किस्तों में जारी किया जाएगा ।

4.2 लोक सभा के गठन तथा राज्य सभा के सदस्य के चुनाव के समय 2.5 करोड़ रु. की पहली किस्त को पैरा 4.3 के तहत अनुबंधित दस्तावेजों के बिना ही जिला प्राधिकारी को जारी कर दिया जाएगा । राज्य सभा तथा लोक सभा के पदासीन सदस्य को उसके बाद की किस्तें पैरा 4.3 में निर्धारित योग्यता मापदंडों के अनुसार जारी की जाएंगी । जिला प्राधिकारी एमपीलैड योजना के संबंध में प्रत्येक सांसद के लिए एक पृथक बैंक खाता मेनटेन करेंगे । जिला प्राधिकारी प्रत्येक सांसद (वर्तमान तथा पूर्व) की वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति अनुलग्नक VI के अनुसार अलग से भेजेंगे ।

4.3 2.5 करोड़ रु. की प्रथम किस्त वित्तीय वर्ष के आरंभ में जारी की जाएगी ।

शेष वर्षों में पहली किश्त वित्त वर्ष के प्रारम्भ में ही जारी की जाएगी बशर्ते पिछले वर्ष की दूसरी किश्त संबंधित सांसद को जारी की जा चुकी हो तथा उसने पिछले वर्ष की प्रथम किश्त में से कम से कम 80 प्रतिशत के व्यय का एक अनंतिम उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया हो ।

एमपीलैड्स निधियों की दूसरी किस्तें निम्नलिखित योग्यता मापदंडों को पूरा करने पर जारी की जाएंगीः

(i) स्वीकृत कार्य के समस्त व्यय के लेखे-जोखे को ध्यान में रखते हुए जिला प्राधिकारी के खाते में उपलब्ध अस्वीकृत शेष राशि 1 करोड़ रु. से कम हो;

(ii) संबंधित सांसद के फंड का अव्ययित बैलेंस 2.5 करोड़ रु. से कम हो; तथा

(iii) पिछले वित्त वर्ष का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा संबंधित सांसद को जारी पिछले वर्ष से एक वर्ष पहले के वर्ष का लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र जिला प्राधिकारी द्वारा दिशानिर्देशों के अनुलग्नक क्रमशः VIII व IX में दिए गए फॉर्मेट में प्रस्तुत किया गया हो ।

उपर्युक्त अनुबंधों की गणना पृथक रूप से प्रत्येक वर्तमान तथा पूर्व सांसद के कार्यकाल-वार के अनुसार मासिक प्रगति रिपोर्ट से की जाएगी । मासिक प्रगति रिपोर्ट जिला प्राधिकारी द्वारा अनुलग्नक VI में दिए गए फॉर्मेट में भेजी जानी चाहिए ।

2. इसे वित्त मंत्रालय (वित्त विभाग) की सहमति से उनके का.ज्ञा. सं.56(2)पीएफ II/2006, दिनांक 19.8.2011 से जारी किया गया है ।

भवदीय,

देवेन्द्र वर्मा

(डॉ. देवेंद्र वर्मा)
उप महानिदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थः-

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा) ।
2. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स प्रभाग के सभी सबंधित कार्मिक ।
5. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर डालने हेतु ।

वित्त मंत्रालय (वित्त विभाग) को उनके का.ज्ञा. सं.56(2)पीएफ II/2006, दिनांक 19.8.2011 के संदर्भ में भी सूचनार्थ प्रति अग्रेषित ।